न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगढ पचवारा जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी :— सुश्री वर्षा मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :— 40/24 प्रार्थना पत्र

उनवान

1. मूली देवी पत्नी रेवड
2. कौशल्या देवी पत्नी जयराम
3. लल्ली देवी पत्नी रामफूल
4. मूली देवी पत्नी बदरी लाल
5. जयराम
6. बदरी
7. रेवड
8. रामफूल

(5–8) पि0 शंकर लाल

(1–8) समस्त जाति मीना निवासी अलीपुरा तहसील राहूवास।

9. रामकरण पुत्र रामस्वरूप, जाति रैगर
10. लाडा देवी पत्नी रामफूल, जाति बैरवा

(9–10) समस्त निवासी अलीपुरा, तहसील राहूवास।

—(प्रार्थीगण)

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राहूवास जिला दौसा।

—(अप्रार्थी)

उपस्थितिः— 1. श्री रामबाबू शर्मा अधिवक्ता—(प्रार्थी)

प्रार्थना पत्र वास्ते करवाये जाने पत्थर गढी
(अं0 धारा 128 एल आर एक्ट)

निर्णय दिनांकः—29.08.2024

प्रार्थना पत्र में अंकित संक्षिप्त वृतान्त इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नंबर 98/43 रकबा 0.5059 है0, ख0नं0 100/43 रकबा 0.5059 है0, ख0नं0 103/43 रकबा 0.5059 है0, ख0नं0 105/43 रकबा 0.5059 है0 ख0नं0 106/43 रकबा 0.5059 है0, ख0नं0 107/43 रकबा 0.5059 है0, ख0नं0 108/43 रकबा 0.5059 है0, ख0नं0 109/43 रकबा 1.0117 है, ख0नं0 [illegible]/43 रकबा 0.5059 है0, ख0नं0 157/43 रकबा 0.7588 है0, ख0नं0 158/43 रकबा 0.75[illegible] है0 तथा ख0नं0 134/143 रकबा 2.5293 है0 भूमि वाकै ग्राम अ[illegible] स्थित है। उक्त आराजी में

Signature Not Verified
Digitally signed by Varsha Meena
Date: 2024.09.05 15:10:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ पचवारा (दौसा)

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थीगण राजस्व रिकॉर्ड में जमाबंदी अनुसार दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि की सीमाओं को लेकर फसल बुआई के समय विवाद होता जाता है। इसलिए प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की सीमाओं के निर्धारण के लिए पत्थरगढ़ी करवाना चाहते है। इसलिए प्रार्थीगण की भूमि का मुताबिक नक्शा ट्रेस अनुसार पुलिस इमदाद से पत्थरगढी करवाये जाने का अनुतोष चाहा है।

उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल आर एक्ट में पेश करने पर प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस जारी कर तलबी की गई। अप्रार्थी द्वारा न्यायालय में जवाब व तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 06.06.2024 पत्र क्रमांक/एल0आर0/2024/791 पेश की गई। मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट खसरा नंबर 98/43 रकबा 0.5059 है0, ख0नं0 100/43 रकबा 0.5059 है0, ख0नं0 103/43 रकबा 0.5059 है0, ख0नं0 105/43 रकबा 0.5059 है0 ख0नं0 106/43 रकबा 0.5059 है0, ख0नं0 107/43 रकबा 0.5059 है0, ख0नं0 108/43 रकबा 0.5059 है0, ख0नं0 109/43 रकबा 1.0117 है, ख0नं0 104/43 रकबा 0.5059 है0, ख0नं0 157/43 रकबा 0.7588 है0, ख0नं0 158/43 रकबा 0.7588 है0 तथा ख0नं0 134/143 रकबा 2.5293 है0 भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त आराजियात पर किसी न्यायालय का कोई स्थगन नहीं है। तहसीलदार द्वारा उक्त आराजियात की पत्थरगढी पुलिस इमदाद के साथ किये जाने की अभिशंषा की है।

वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड एवम तथ्यात्मक रिपोर्ट का आधोपान्त अध्यन किया गया। प्रार्थीगण खसरा नंबर 98/43, 100/43 103/43, 105/43, 106/43, 108/43, 109/43, 104/43 105/43, 158/43, 134/143 ग्राम अलीपुरा प्रार्थीगणो के खातेदारी में दर्ज रिकॉड है। व स्वयं की आराजी का सीमाज्ञान व पत्थरगढी करवाने के अधिकारी है। जिसके अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल आर एक्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल आर एक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार राहूवास को आदेश दिये जाते है कि यदि किसी अन्य न्यायालय का स्थगन न हो तो प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 98/43 रकबा 0.5059 है0, ख0नं0 100/43 रकबा 0.5059 है0, ख0नं0 103/43 रकबा 0.5059 है0, ख0नं0 105/43 रकबा 0.5059 है0 ख0नं0 106/43 रकबा 0.5059 है0, ख0नं0 107/43 रकबा 0.5059 है0, ख0नं0 108/43 रकबा 0.5059 है0, ख0नं0 109/43 रकबा 1.0117 है, ख0नं0 104/43 रकबा 0.5059 है0, ख0नं0 157/43 रकबा 0.7588 है0, ख0नं0 158/43 रकबा 0.7588 है0 तथा ख0नं0 134/143 रकबा 2.5293 है0 वाके ग्राम अलीपुरा तहसील राहूवास जिला दौसा में मौके पर फसल सरसब्ज न होने की स्थिति में आवश्यकता अनुसार अनुभवी पटवारियों/गिरदावरों की टीम गठित कर पत्थरगढी करवाना सुनिश्चित करे। प्रार्थीगण से नियमानुसार राजकीय शुल्क वसूल किया जावे। पत्थरगढी से पूर्व तहसीलदार सीमावर्ती काश्तकारों को प्रार्थीगण के खर्चे पर सूचित करे। उक्त आदेश केवल पत्थरगढी का है जिसमें किसी प्रकार का कब्जा नही

2

Signature Not Verified

Digitally signed by Varsha Meena
Date: 2024.09.05 15:10:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ पचवारा (दौसा)

Scanned with OKEN Scanner

सम्भलाया जावे। अगर पुलिस जाब्ता की आवश्यकता हो तो तहसीलदार अपने स्तर से पुलिस से समन्वय कर पुलिस/होमगार्ड इमदाद प्राप्त कर न्यायालय के आदेश की पालना करावें। पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार राहूवास को भिजवाई जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय न्यायालय की मोहर एव मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

29/08/24

वर्षा मीना
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ पचवारा, जिला दौसा।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ पचवारा (दौसा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Varsha Meena
Date: 2024.09.05 15:10:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner